सरकारी कर्मचारी जो शासन के अधीन किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के पश्चात् नया अधिवास ग्रहण कर लेता है, उस कारण से न तो अपनी यात्रा को खो देगा न इस नियम के अधीन दिये गये लाभों को प्राप्त करने का ही अधिकारी होगा।

(2) 'बच्चे' के अर्थ हैं वैध बच्चा (जिसमें सौतेला बच्चा भी सम्मिलित है) और जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहता है तथा जो उस पर पूर्णतया आश्रित हो और जो यदि लड़की हो तो अविवाहित हो और लड़का हो तो 16 वर्ष से कम आयु का हो। **[मूल नियम 83-ख]**

33. अध्ययन अवकाश

सरकारी कर्मचारियों को वैज्ञानिक, प्राविधिक या इसी प्रकार की समस्याओं के अध्ययन के लिये या विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए राज्यपाल द्वारा ऐसी शर्तों पर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें वह नियम या आदेश द्वारा निर्धारित कर दें। ऐसा अवकाश, अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है। **(मूल नियम 84)**

ये नियम राज्यपाल द्वारा सरकारी कर्मचारियों को वैधानिक प्राविधिक या समान समस्याओं के अध्ययन के लिये या प्रशिक्षण के विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए बनाये गये हैं। ये नियम केवल अध्ययन अवकाश से सम्बन्धित हैं। उन सरकारी कर्मचारियों का मामला इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आता जिन्हें शासन द्वारा अन्य देशों में या तो उनको सौंपी गई विशेष ड्यूटी को करने के लिए या उनकी तकनीकी ड्यूटी से सम्बन्धित विशिष्ट समस्याओं के अनुसन्धान के लिए भेजा गया हो। ऐसे मामले उत्तर प्रदेश मूल नियमों के नियम 50 तथा 51 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने गुणावगुण के अनुसार निपटाये जाते रहेंगे। ये नियम जन-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अन्वेषण विभागों, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा वन विभागों पर लागू होते हैं (केवल महाद्वीप के दौरे को छोड़कर, जिसके लिये विशेष नियम लागू होते हैं)। शासन द्वारा इन नियमों को किसी भी अन्य सरकारी कर्मचारी के ऊपर भी लागू कर सकते हैं जो उपर्युक्त किसी भी विभाग का न हो और जिसके मामले में उनकी यह राय हो या वह समझते हों कि अध्ययन के किसी विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये अथवा किसी वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकार के अन्वेषण के लिये जनहित में अवकाश स्वीकृत करना चाहिये। **[सहायक नियम 146-क]**

34. अवकाश लेखे की जमा अवकाश की समाप्ति

(क) 1 जनवरी, 1936 के पूर्व नियुक्त हुये सरकारी कर्मचारी के मामले में उसके नाम पर अवकाश लेखे में जमा अवकाश अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि को समाप्त हो जाता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसने उस तिथि के पर्याप्त समय पूर्व—

(1) औपचारिक रूप से अवकाश के लिये आवेदन-पत्र दिया हो और उसको अस्वीकृत कर दिया गया हो,

(2) यदि उसने अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी से लिखित रूप से यह पता लगा लिया हो कि यदि वह अवकाश के लिये आवेदन-पत्र देगा तो वह स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

इनमें से किसी भी मामले में अवकाश की स्वीकृति जनसेवा की अपेक्षाओं के आधार पर हुई हो तो सेवानिवृत्त की तिथि के पश्चात् अवकाश की इस प्रकार से अस्वीकृत की गई अवधि, सरकारी कर्मचारी को इस शर्त पर प्रदान की जा सकती है कि वह अधिकतम 6 महीने से अधिक न हो।

(ख) वह सरकारी कर्मचारी जिसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् सेवा में रहने दिया जाता है, उस तिथि के बाद की गई ड्यूटी के 1/11 औसत वेतन पर अवकाश उपार्जित करेगा और उसमें उसे अवकाश की ऐसी अवधि को भी जोड़ने की अनुमति दे दी जायेगी जो उसको खण्ड (क) के अन्तर्गत